16. तद्नुसार, हम अपीलों के इस समूह को बृहत्तर न्यायपीठ को निर्दिष्ट करते हैं । मामलों को समुचित आदेशों के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष रखा जाए ।

अपीलें बृहत्तर न्यायपीठ के विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट की गईं ।

जस.

[2018] 4 उम. नि. प. 47

शंकर

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तथा

सुरेश धोबी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

18 अप्रैल, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/149 – हत्या और विधिविरुद्ध जमाव – दोषसिद्धि – कई सारे अभियुक्तों द्वारा चाकू, गुप्ती और लात-घूसों से मृतक पर हमला किया जाना – अपीलार्थी-अभियुक्तों की भूमिका लात-घूसों से पिटाई करने तक पाया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार चाकू से कारित क्षति के कारण मृत्यु होना – जहां अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास हो और तात्विक पहलुओं पर एक-दूसरे के कथन से संपुष्टि न होती हो तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी न हों, वहां अभियुक्तों की दोषिता युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने पर केवल धारणाओं और उपधारणाओं के आधार पर की गई उनकी दोषसिद्धि को कायम रखना न्यायोचित नहीं होगा ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि तारीख 8 मई, 1998 को संजय

सोरले नामक व्यक्ति भरवेली गांव में एक विवाह में सम्मिलित हुआ था । जब रस्में निभाई जा रही थीं तब दीपक और दो अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहां आए । संजय सोरले और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों के बीच कहा-सुनी हुई । दीपक ने उस स्थान से जाते हुए संजय सोरले को धमकी दी और वहां से चला गया । उसके पश्चात्, वह पुनः गुड्डा **उर्फ** शिवशंकर, शिव, सुरेश (अपीलार्थी) और शंकर (अपीलार्थी) सहित एक बुलेट मोटरसाइकिल पर विवाह स्थल पर वापस आया और संजय सोरले को विवाह स्थल से सड़क पर ले गया और उस पर हमला किया । अभिकथित रूप से कुल मिलाकर 11 व्यक्ति अपराध में संलिप्त थे । गुड्डा ने चाकू से और शिव ने गुप्ती से क्षतियां कारित की थीं जबकि शंकर और सुरेश अर्थात् इस अपील में अपीलार्थियों ने घूसों से प्रहार करके उस पर हमला किया था । क्षतिग्रस्त संजय सोरले को पुलिस थाना, भरवेली ले जाया गया और 11.00 बजे अपराह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । क्षतिग्रस्त संजय सोरले को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त शिवशंकर, मनोज, द्वारका और शिवकुमार के बताने पर चाकू और अपराध में आलिप्त करने वाली अन्य सामग्री अभिगृहीत की गईं । अभियुक्तों अर्थात् मनोज, बाबूराव, दीपक, गुड्डा **उर्फ** शिवशंकर, शंकर और द्वारका **उर्फ** डॉन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन आरोप लगाए गए । इन आरोपों के अतिरिक्त, अभियुक्त रुपेश, चोखू **उर्फ** राकेश, सुरेश, शिवकुमार और डब्ल्यू **उर्फ** सुधांशु को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त रूप से आरोपित किया गया । अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया, मिथ्या रूप से फंसाए जाने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने विस्तृत विचारण करने के पश्चात् छह अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अभियुक्तों (इस अपील में अपीलार्थियों सहित) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अधीन आरोपों से उन्मोचित कर दिया । तथापि, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शेष पांच अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थियों सहित) भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी हैं । तद्नुसार, तारीख उन्हें दोषसिद्ध किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने जबकि भारतीय दंड

संहिता की धारा 302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए जुर्माने सहित आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । सभी पांच अभियुक्त विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष अपील में लेकर आए । उच्च न्यायालय ने उनकी अपील को गुणागुण रहित पाया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को कायम रखते हुए इसे खारिज कर दिया । इस खारिजी से व्यथित होकर अभियुक्त सं. 3 सुरेश धोबी और अभियुक्त सं. 5 शंकर ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभि. सा. 1 गणेश प्रसाद के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को देखा था, किंतु वह उन्हें केवल उनके चेहरे से जानता था और अभि. सा. 5 सावित्री बाई ने ही उसे उनके नाम बताए थे और उसने जो कहा था उसके आधार पर ही उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उनके नाम अभिलिखित कराए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम शंकर और सुरेश बताए थे । किंतु उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तों ने अपने नाम किसको बताए थे । हालांकि दोनों अभियुक्तों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हैं और अभि. सा. 1 के अनुसार, इन दोनों अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका यह है कि उन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ आहत की लात और घूसों से प्रहार करके पिटाई की थी । अभि. सा. 1 द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह कथन किया गया है कि जब उसने मदद के लिए पुकारने की सोची, अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गए । अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन के पक्षकथन में इस बारे में अत्यधिक विसंगति है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसने दर्ज की थी । अभि. सा. 5 द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उसने ही पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी तथा उसे उसकी रिपोर्ट संलग्न न करने के कारण का भी पता नहीं है । उसने यह स्पष्ट किया कि रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् वह अपने घर लौट आई थी । उसके घर लौटने के आधे घंटे के पश्चात् पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया था । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 5 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 गणेश प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी । इस साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया

गया कि अभियुक्तों में से किसी ने भी आहत पर लाठी से प्रहार नहीं किया था । डाक्टर ने अपनी यह राय व्यक्त की कि मृत्यु हृदय से अत्यधिक रक्त बहने के परिणामस्वरूप हो सकती है और मृत्यु मरणोत्तर परीक्षा के 18 घंटे के भीतर हुई हो सकती है । प्रतिपरीक्षा में डाक्टर से यह बात निकलकर आई कि मृत्यु केवल क्षति. सं. 1 से कारित हुई थी और अन्य क्षतियों से मृत्यु होने की कोई संभावना नहीं थी । डाक्टर की राय में, क्षति सं. 1 केवल किसी चाकू या गुप्ती से कारित की जा सकती थी न कि हाथ या लाठी द्वारा । इस न्यायालय ने प्रमुख अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है और यह स्पष्ट है कि तात्विक पहलुओं पर उनके कथनों की अन्य साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो रही है । यह प्रतीत होता है कि निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 और 5 के कथनों की सत्यता पर विचार किए बिना उनके साक्ष्य को लापरवाहीपूर्वक अत्यधिक महत्व दिया है । सर्वप्रथम, यदि अभि. सा. 5 के कथन को सत्य मान लिया जाए, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध पी. 1) की उत्पत्ति और असलियत निस्संदेह शंकास्पद है । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) अभि. सा. 1 की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे इसके लेखक एम. जी. चौबे (अभि. सा. 17) के कथन द्वारा सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है, तो अभि. सा. 5 के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और प्रभावशील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया है कि उसने ही पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और अभि. सा. 1 ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी । यदि अभि. सा. 1 के कथन पर विश्वास किया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, क्योंकि उसके अनुसार, घटना के समय वह मदद के लिए अन्य व्यक्तियों को बुलाने हेतु मंडप में गया था और घटनास्थल मंडप से दिखाई नहीं दे रहा था । यह तथ्य अभि. सा. 1 और 5 के एक अन्य घनिष्ठ नातेदार, अभि. सा. 4 अमित के साक्ष्य द्वारा भी साबित होता है । अभि. सा. 4 के अनुसार, जब वह और अभि. सा. 1 मंडप में मौजूद थे, तब संजय सोरले वहां आया और अचेत अवस्था में जाते हुए नीचे गिर गया । जब अभि. सा. 1 और 4 मंडप से बाहर देखने के लिए गए, तब तक अभियुक्त उस स्थान से चले गए थे । इस साक्षी का यह कथन है कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त किस दिशा में गए थे । अभि. सा. 5 कोई और नहीं अपितु अभि. सा. 1 की भतीजी है । उसके अनुसार, वह व्यक्तिगत रूप से मंडप में मौजूद थी और जब अभियुक्त मृतक को बाहर

ले जा रहे थे तब वह अभियुक्तों के पीछे-पीछे गई थी । केवल इससे प्रत्यक्षदर्शी होने का तथ्य सिद्ध होता है किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साक्षी ने अन्वेषक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया था कि वह मंडप से घटनास्थल तक मृतक के पीछे-पीछे गई थी । इस आशय का यह लोप प्रदर्श डी 2 के रूप में चिन्हित है । इस बात को देखते हुए, अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य भी कि उसे हमलावरों के नामों के बारे में अभि. सा. 5 के माध्यम से पता चला था, विश्वासोत्पादक नहीं है । प्रस्तुत मामले को देखने से ही किसी संकोच के बिना यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अपराध को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करने मे पूरी तरह से असफल रहा है । दूसरे शब्दों में, यह मामला प्रमुख अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कई विरोधाभासों सहित दुर्बल और कमजोर आधार पर आधारित है । इसके अतिरिक्त, अधिकांश अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । दिलचस्प बात यह है कि कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी, हालांकि अभि. सा. 1 का यह कथन है कि वह अभियुक्तों को केवल उनके चेहरे से पहचान सकता है और आंरभ में अभियुक्तों के रूप में नामित केवल पांच व्यक्ति थे किंतु बाद में कुल 11 व्यक्तियों को आरोपित किया गया था और उनमें से अधिकांश को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है । अभिलेख पर की सामग्री से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों के कब्जे से एक लाठी भी बरामद हुई थी, किंतु यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आहत पर हमला करने में लाठी किसने चलाई थी । अभि. सा. 5 के अनुसार, अभियुक्तों में से किसी ने भी आहत पर लाठी से हमला नहीं किया था । प्रस्तुत मामले में, निचले न्यायालय अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्य में के विरोधाभासों और विकारों पर विचार करने में असफल रहे हैं । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी शंकर और सुरेश की अपराध में सहभागिता और निभाई गई भूमिका मृतक पर लात और घूसों से प्रहार करने तक सीमित थी, जबकि अन्य अभियुक्त गुड्डा और शिव मृतक पर क्रमशः चाकू और गुप्ती से हमला कर रहे थे । अभियोजन साक्षी के ऐसे कथन की संपुष्टि, जो कि अन्यथा अविश्वसनीय है, एक अन्य अभियोजन साक्षी के अन्य अविश्वसनीय साक्ष्य से नहीं की जा सकती है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी यह उल्लेख है कि शंकर और सुरेश, जो इस अपील में अपीलार्थी हैं, ने विपदग्रस्त की लात और घूसों से पिटाई की थी और उनके द्वारा कोई आयुध लिए होने

का उल्लेख नहीं किया गया है । जबकि, अभि. सा. 5 ने अलग ही यह कथन किया है कि अभियुक्त शंकर ने भी आहत पर चाकू से हमला किया था । इन साक्षियों के कथनों से, जो कि प्रमुख साक्षी हैं, इस अपील में अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में एक-दूसरे से संपुष्टि नहीं होती है । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और अभि. सा. 7 (डा. निलाए जैन) के साक्ष्य से आहत की लात, तमाचों और घूसों से की गई पिटाई के परिणामस्वरूप उसे कोई क्षति कारित होना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि ऐसी क्षतियां दृष्टिगोचर नहीं हैं । अभियोजन पक्ष ने आहत पर हमला करने वाले बहुत सारे हमलावरों को अभियुक्त बनाया था किंतु साक्षी, हालांकि जिनके साक्ष्य विसंगतियों से भरे हैं, यह उल्लेख करने में समर्थ नहीं हो सके हैं कि इस अपील में अपीलार्थियों ने मृतक को कैसे क्षतियां कारित की थीं जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी । ऐसे परिदृश्य में, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्याय के हित में नहीं होगा क्योंकि दांडिक विचारण में सबूत का मानदंड युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत होने का है और अभियोजन पक्ष इन मानदंडों के अनुसार अभियुक्तों की दोषिता को साबित नहीं कर सका है । निचले न्यायालयों ने अपनी स्वयं की धारणाओं और उपधारणों के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है । यद्यपि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में की प्रत्येक विसंगति और विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होता है, किंतु प्रस्तुत मामले में विरोधाभास मामले की तह तक जाते हैं और तात्विक हैं तथा ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है । (पैरा 9, 11, 12, 13, 15 और 18)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2013] (2013) 10 स्केल 454 :
एस. गोविंदराजू बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 14

[2002] (2002) 6 एस. सी. सी. 470 :
हरिजन थिरुपला और अन्य बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद** । 17

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 1785 और इसके साथ 2011 की दांडिक अपील सं. 1786-1788.

1998 के सेशन मामला सं. 120 में 1999 की दांडिक अपील सं. 333 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के तारीख 12 सितम्बर, 2007 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध संविधान, 1950 के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री कृष्णकांत पांडे, धानेश बी. धोतरे और शिव सागर तिवारी

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री डी. एस. परमार, राजेश श्रीवास्तव और (सुश्री) स्वरुपमा चतुर्वेदी (मिश्रा सौरभ की ओर से)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एन. वी. रमना ने दिया ।

न्या. रमना – विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई ये अपीलें 1999 की दांडिक अपील सं. 315, 316, 333 और 590 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा तारीख 12 सितम्बर, 2007 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई दांडिक अपीलें खारिज कर दीं और विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध पारित किए गए दोषसिद्ध और दंडादेश के आदेश की अभिपुष्टि की ।

2. अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि तारीख 8 मई, 1998 को संजय सोरले नामक व्यक्ति भरवेली गांव में एक विवाह में सम्मिलित हुआ था । जब रस्में निभाई जा रही थीं तब दीपक और दो अन्य व्यक्ति मोटरसाइकिल पर वहां आए । संजय सोरले और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों के बीच कहा-सुनी हुई । दीपक ने उस स्थान से जाते हुए संजय सोरले को धमकी दी और वहां से चला गया । उसके पश्चात्, वह लगभग 10.30 बजे अपराह्न में गुड्डा **उर्फ** शिवशंकर, शिव, सुरेश (अपीलार्थी) और शंकर (अपीलार्थी) सहित एक बुलेट मोटरसाइकिल पर विवाह स्थल पर वापस आया और संजय सोरले को विवाह स्थल से सड़क पर ले गया और उस पर हमला किया । अभिकथित रूप से कुल मिलाकर 11 व्यक्ति अपराध में संलिप्त थे । गुड्डा ने चाकू से और शिव ने गुप्ती से क्षतियां कारित की थीं जबकि शंकर और सुरेश अर्थात् इस अपील में अपीलार्थियों ने घूसों से प्रहार करके उस पर हमला किया था । क्षतिग्रस्त संजय सोरले को पुलिस थाना, भरवेली ले जाया गया और 11.00 बजे अपराह्न में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई ।

3. पुलिस ने इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को 1998 के अपराध सं. 54 के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् क्षतिग्रस्त संजय सोरले को उपचार के लिए जिला अस्पताल, बालाघाट भेजा, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया । मृत्युसमीक्षा (प्रदर्श पी. 3) करने के पश्चात् मृतक का शव मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए, पटवारी द्वारा स्थलनक्शा (प्रदर्श पी. 5) तथा पुलिस द्वारा भी स्थलनक्शा (प्रदर्श पी. 24) बनाया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त शिवशंकर, मनोज, द्वारका और शिवकुमार के बताने पर चाकू और अपराध में आलिप्त करने वाली अन्य सामग्री अभिगृहीत की गईं । बुलेट मोटरसाइकिल (प्रदर्श पी. 9) भी, जो अभिकथित रूप से अभियुक्तों द्वारा चलाई जा रही थी, अभियुक्त चोखू **उर्फ** राकेश के कब्जे से बरामद की गई । अन्य वस्तुएं जैसे रक्तरंजित मिट्टी, सादा मिट्टी और मृतक के वस्त्र अभिगृहीत किए गए और विशेषज्ञ परीक्षण के लिए भेजे गए । पांच अभियुक्तों अर्थात् मनोज, बाबूराव, दीपक, गुड्डा **उर्फ** शिवशंकर, शंकर और द्वारका **उर्फ** डॉन के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन आरोप लगाए गए । इन आरोपों के अतिरिक्त, अभियुक्त रुपेश, चोखू **उर्फ** राकेश, सुरेश, शिवकुमार और डब्ल्यू **उर्फ** सुधांशु को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अतिरिक्त रूप से आरोपित किया गया । अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया, मिथ्या रूप से फंसाए जाने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

4. विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने 1998 के विशेष सेशन मामला सं. 51 और 1998 के सेशन मामला सं. 120 में विस्तृत विचारण करने के पश्चात् छह अभियुक्तों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अभियुक्तों (इस अपील में अपीलार्थियों सहित) को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अधीन आरोपों से उन्मोचित कर दिया । तथापि, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि शेष पांच अभियुक्त (इस अपील में अपीलार्थियों सहित) भारतीय दंड संहिता की धारा 148 और 302/149 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए दोषी हैं । तद्नुसार, तारीख 27 जनवरी, 1999 के निर्णय द्वारा उन्हें दोषसिद्ध किया और भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा

302/149 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए उन्हें आजीवन कारावास भुगतने और प्रत्येक द्वारा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । तथापि, सभी दंडादेश साथ-साथ चलने का निदेश दिया गया ।

5. सभी पांच अभियुक्त विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए मामले को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष अपील में लेकर आए । उच्च न्यायालय ने इस अपील में आक्षेपित निर्णय द्वारा उनकी अपील को गुणागुण रहित पाया और इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय को कायम रखते हुए इसे खारिज कर दिया । इस खारिजी से व्यथित होकर अभियुक्त सं. 3 सुरेश धोबी और अभियुक्त सं. 5 शंकर वर्तमान अपीलों के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आए हैं ।

6. हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल तथा प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल को सुना । दुर्भाग्यवश, स्थगन लेने के बावजूद अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल से कोई उचित सहायता नहीं मिली । तथापि, राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि चूंकि दो न्यायालयों ने समवर्ती रूप से अभियुक्तों की दोषिता की अभिपुष्टि की है, इसलिए इस न्यायालय के लिए आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित कारण नहीं हैं और इस दलील के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए ।

7. मुख्य साक्षियों, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 5, जिनका साक्ष्य इस मामले के लिए महत्वपूर्ण है, के साक्ष्य की अनुदित प्रतियां जो अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ फाइल की गई हैं, स्पष्ट नहीं हैं और हमने उनमें बहुत सारी टंकण और व्याकरण संबंधी गलतियां पाई हैं । सच्चाई यह है कि प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने स्वयं ही अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्य की अनुदित प्रतियां फाइल की हैं । हम प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल का एक न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया में साक्ष्य पर विचार करने में की गई सामर्थ्यवान् सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं ।

8. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अभियोजन का संपूर्ण पक्षकथन दो अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 गणेश प्रसाद और अभि. सा. 5 सावित्री बाई के साक्ष्य पर आधारित है ।

9. अभि. सा.1 गणेश प्रसाद के साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि उसने दोनों अभियुक्त-अपीलार्थियों को देखा था, किंतु वह उन्हें केवल उनके चेहरे से जानता था और अभि. सा. 5 सावित्री बाई ने ही उसे उनके नाम बताए थे और उसने जो कहा था उसके आधार पर ही उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में उनके नाम अभिलिखित कराए थे । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दोनों अभियुक्तों ने अपने नाम शंकर और सुरेश बताए थे । किंतु उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तों ने अपने नाम किसको बताए थे । हालांकि दोनों अभियुक्तों के नाम प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में हैं और अभि. सा. 1 के अनुसार, इन दोनों अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका यह है कि उन्होंने अन्य अभियुक्तों के साथ-साथ आहत की लात और घूसों से प्रहार करके पिटाई की थी । अभि. सा. 1 द्वारा अभिव्यक्त रूप से यह कथन किया गया है कि जब उसने मदद के लिए पुकारने की सोची, अभियुक्त-अपीलार्थी घटनास्थल से भाग गए ।

10. अभि. सा. 5 सावित्री बाई ने, जो वार्ड की पंच भी थी, यह अभिसाक्ष्य दिया कि वह विवाह स्थल (मंडप) पर आहत संजय सोरले से लगभग 10 फुट की दूरी पर खड़ी थी, तब अभियुक्त शिव संजय सोरले को वहां से बाहर ले गया जहां अन्य अभियुक्त गुड्डा, दीपक, शंकर और सुरेश मौजूद थे । इस साक्षी ने, अभि. सा. 1 के साक्ष्य के प्रतिकूल, यह अभिसाक्ष्य दिया कि अभियुक्त-अपीलार्थी शंकर चाकू से लैस था और आहत पर हमला किया था जबकि शिव ने गुप्ती से, गुड्डा ने चाकू से हमला किया था जबकि सुरेश और दीपक ने संजय को पकड़ा हुआ था । इस साक्षी ने यह कहा कि उसने घटनास्थल पर मौजूद अन्य व्यक्तियों को नहीं देखा था । जब वह जोर-जोर से चिल्लाई, तो अभियुक्त भाग गए और आहत लड़खड़ाता हुआ मंडप में आया । जबकि प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि मंडप के स्थान से घटनास्थल को नहीं देखा जा सकता था ।

11. अभि. सा. 5 के साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन के पक्षकथन में इस बारे में अत्यधिक विसंगति है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट किसने दर्ज की थी । अभि. सा. 5 द्वारा स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि उसने ही पुलिस थाने में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की थी और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी तथा उसे उसकी रिपोर्ट संलग्न न करने के कारण का भी पता नहीं है । उसने यह स्पष्ट किया कि रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात्

वह अपने घर लौट आई थी । उसके घर लौटने के आधे घंटे के पश्चात् पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया था । यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभि. सा. 5 ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभि. सा. 1 गणेश प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी । इस साक्षी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि अभियुक्तों में से किसी ने भी आहत पर लाठी से प्रहार नहीं किया था ।

12. इस प्रक्रम पर, डाक्टर के साक्ष्य पर दृष्टिपात करना अति सुसंगत है । अभि. सा. 7 डा. निलाए जैन के अनुसार, जिसने मृतक के शव की मरणोत्तर परीक्षा की थी, मृतक को निम्नलिखित क्षतियां पहुंची थी :–

> "1. चूचुक के निकट 2.0 × 1.5 × 3.0 सें. मी. का तिर्यक शामित घाव मौजूद ।
>
> 2. मध्य सहायक रेखा पर 10वीं, 11वीं, और 12वीं पसली पर लगभग 1.5 × 1.0 × 4.5 सें. मी. सामान्य आकार का तिर्यक शामित घाव ।
>
> 3. उदर पर कालक्रम रेखा पर 10वीं, 11वीं, और 12वीं पसली पर लगभग 3.0 × 2.5 × 6.0 (गहराई) का तिर्यक आकार का शामित घाव जो जांघ के ऊपर (ऊपरी ओर) पार्श्विक भाग पर है ।
>
> 4. दाएं वृक्कीय कोण पर लगभग 5.0 × 2.0 × 7.0 सें. मी. (गहराई) का एक तिर्यक शामित घाव ।
>
> 5. चूचुक के निकट एक लगभग 5.0 × 1.5 × 2.0 सें. मी. आकार का क्षैतिज शामित घाव पूरी तरफ स्पष्ट है ।"

डाक्टर ने अपनी यह राय व्यक्त की कि मृत्यु हृदय से अत्यधिक रक्त बहने के परिणामस्वरूप हो सकती है और मृत्यु मरणोत्तर परीक्षा के 18 घंटे के भीतर हुई हो सकती है । प्रतिपरीक्षा में डाक्टर से यह बात निकलकर आई कि मृत्यु केवल क्षति. सं. 1 से कारित हुई थी और अन्य क्षतियों से मृत्यु होने की कोई संभावना नहीं थी । डाक्टर की राय में, क्षति सं. 1 केवल किसी चाकू या गुप्ती से कारित की जा सकती थी न कि हाथ या लाठी द्वारा ।

13. हमने प्रमुख अभियोजन साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्य पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है और यह स्पष्ट है कि तात्विक

पहलुओं पर उनके कथनों की अन्य साक्ष्य से संपुष्टि नहीं हो रही है । यह प्रतीत होता है कि निचले न्यायालयों ने अभि. सा. 1 और 5 के कथनों की सत्यता पर विचार किए बिना उनके साक्ष्य को लापरवाहीपूर्वक अत्यधिक महत्व दिया है । सर्वप्रथम, यदि अभि. सा. 5 के कथन को सत्य मान लिया जाए, तो प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (उपाबंध पी. 1) की उत्पत्ति और असलियत निस्संदेह शंकास्पद है । यदि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) अभि. सा. 1 की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी, जिसे इसके लेखक एम. जी. चौबे (अभि. सा. 17) के कथन द्वारा सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है, तो अभि. सा. 5 के कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और प्रभावशील नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह प्रकथन किया है कि उसने ही पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और अभि. सा. 1 ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी । यदि अभि. सा. 1 के कथन पर विश्वास किया जाए, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी था, क्योंकि उसके अनुसार, घटना के समय वह मदद के लिए अन्य व्यक्तियों को बुलाने हेतु मंडप में गया था और घटनास्थल मंडप से दिखाई नहीं दे रहा था । यह तथ्य अभि. सा. 1 और 5 के एक अन्य घनिष्ठ नातेदार, अभि. सा. 4 अमित के साक्ष्य द्वारा भी साबित होता है । अभि. सा. 4 के अनुसार, जब वह और अभि. सा. 1 मंडप में मौजूद थे, तब संजय सोरले वहां आया और अचेत अवस्था में जाते हुए नीचे गिर गया । जब अभि. सा. 1 और 4 मंडप से बाहर देखने के लिए गए, तब तक अभियुक्त उस स्थान से चले गए थे । इस साक्षी का यह कथन है कि उसे कोई जानकारी नहीं है कि अभियुक्त किस दिशा में गए थे । अभि. सा. 5 कोई और नहीं अपितु अभि. सा. 1 की भतीजी है । उसके अनुसार, वह व्यक्तिगत रूप से मंडप में मौजूद थी और जब अभियुक्त मृतक को बाहर ले जा रहे थे तब वह अभियुक्तों के पीछे-पीछे गई थी । केवल इससे प्रत्यक्षदर्शी होने का तथ्य सिद्ध होता है किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साक्षी ने अन्वेषक अधिकारी को इस तथ्य के बारे में नहीं बताया था कि वह मंडप से घटनास्थल तक मृतक के पीछे-पीछे गई थी । इस आशय का यह लोप प्रदर्श डी. 2 के रूप में चिन्हित है । इस बात को देखते हुए, अभि. सा. 1 का यह साक्ष्य भी कि उसे हमलावरों के नामों के बारे में अभि. सा. 5 के माध्यम से पता चला था, विश्वासोत्पादक नहीं है ।

14. इस प्रक्रम पर, **एस. गोविंदराजू** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले

[1] (2013) 10 स्केल 454.

मामले में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित शब्दों में की गई मताभिव्यक्तियों पर दृष्टिपात करना उपयोगी होगा :–

> "यह सुस्थिर विधिक प्रतिपादना है कि न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या विरोधाभास/लोप इतने महत्वपूर्ण हैं कि विचारण तात्विक रूप से प्रभावित हो सकता है । तुच्छ बातों से संबंधित छुट-पुट विरोधाभासों, विसंगतियों, अतिरंजनाओं या सुधारों को, जिनसे अभियोजन के पक्षकथन का सारभाग प्रभावित नहीं होता है, साक्ष्य को समग्र रूप में नामंजूर करने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए । विचारण न्यायालय को संपूर्ण उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् ही साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में राय बनानी चाहिए और अपील न्यायालय के लिए, प्रसामान्य अनुक्रम में, उनकी विश्वसनीयता के बारे में पुनर्विलोकन करना न्यायोचित नहीं होगा जब तक कि ऐसा करने के लिए उचित कारण न दिए जाएं । जहां लोप विरोधाभास की ऐसी कोटि में आता है/आते हैं जिनसे किसी साक्षी की सत्यता के संबंध में गंभीर संदेह पैदा होता है, और अन्य साक्षी भी साक्ष्य को स्वीकार्य बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष तात्विक सुधार करते हैं, वहां ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेना सुरक्षित नहीं होगा । प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में पाई गई कमियों की प्रकृति यदि छुट-पुट नहीं हैं, तो उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय और अविश्वस्त मानने का आधार हो सकता है । ऐसी परिस्थितियों में, हो सकता है ऐसे साक्षियों का साक्ष्य विश्वासोत्पादक न हो और यदि उनका साक्ष्य अन्य उपलब्ध साक्ष्य या ऐसे कथन का जो पहले अभिलिखित किया गया है, का विरोधी और विरोधाभासी होना पाया जाता है तब ऐसे किसी मामले में यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया है ।"

15. प्रस्तुत मामले को देखने से ही किसी संकोच के बिना यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अभिकथित अपराध को तर्कपूर्ण और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । दूसरे शब्दों में, यह मामला प्रमुख अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में कई विरोधाभासों सहित दुर्बल और कमजोर आधार पर आधारित है । इसके अतिरिक्त, अधिकांश अभियोजन साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है ।

दिलचस्प बात यह है कि कोई शनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी, हालांकि अभि. सा. 1 का यह कथन है कि वह अभियुक्तों को केवल उनके चेहरे से पहचान सकता है और आरंभ में अभियुक्तों के रूप में नामित केवल पांच व्यक्ति थे किंतु बाद में कुल 11 व्यक्तियों को आरोपित किया गया था और उनमें से अधिकांश को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया है । अभिलेख पर की सामग्री से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों के कब्जे से एक लाठी भी बरामद हुई थी, किंतु यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि आहत पर हमला करने में लाठी किसने चलाई थी । अभि. सा. 5 के अनुसार, अभियुक्तों में से किसी ने भी आहत पर लाठी से हमला नहीं किया था ।

16. हमारी राय में, विचारण न्यायालय का निर्णय ऐसी धारणाओं और उपधारणों से भरा है, जिनके आधार पर विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि और दंडादेश अधिनिर्णीत की है । विचारण न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि गणेश प्रसाद (अभि. सा. 1), अमित (अभि. सा. 4) और सावित्री बाई (अभि. सा. 5) के सिवाय किसी अन्य साक्षी ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । स्पष्ट तौर पर, महत्वपूर्ण पहलुओं पर अभि. सा. 1 और 5 के कथनों की संपुष्टि नहीं होती है, विशिष्ट रूप से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की उत्पत्ति संदेहास्पद रही है, तो भी विचारण न्यायालय अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्यों से और स्वयं अपनी उपधारणाओं से अपने आप को आश्वस्त किया है ।

17. उच्च न्यायालय ने भी दुर्भाग्यवश विधि के स्थिर सिद्धांतों के अनुसार मामले पर विचार नहीं किया है । किसी अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि अधिनिर्णीत करने से पूर्व न्यायालयों को यह तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि उन मुख्य अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए जिनके साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि अधिनिर्णीत की जा रही है । साधारणतया, किसी दांडिक मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि साक्ष्य की मात्रा नहीं, अपितु गुणवत्ता है, जो तात्विक होती है । न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्षी की विश्वसनीयता और अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करे तथा विवेकपूर्ण रीति में उनका यह निर्धारण करे कि क्या ये विश्वासोत्पादक हैं या नहीं ताकि अभियुक्त को दोषसिद्ध करने से पूर्व इन्हें स्वीकार किया जा सके और इनके आधार पर कार्यवाही की जा सके ।

यहां **हरिजन थिरुपला और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद**[1] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्तियों पर दृष्टिपात करना उचित होगा :–

> "ऐसे मामलों में जहां न्यायालय को अभियुक्त की दोषिता के बारे में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है, वहां ऐसे संदेह का फायदा अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए । साथ-ही-साथ, न्यायालय को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को काल्पनिक आधारों या अनुमानों और अटकलबाजी के आधार पर इसे मिथ्या, अविश्वसनीय या अविश्वस्त मानकर नामंजूर नहीं करना चाहिए । अभियोजन के पक्षकथन को संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करते हुए समग्र रूप में आंकना चाहिए ।
>
> साक्ष्य का मूल्यांकन करने में न्यायालय का दृष्टिकोण समेकित होना चाहिए न कि विकृत या एकीकृत । दूसरे शब्दों में, अभियुक्त की दोषिता या अन्यथा के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने में अभियोजन के पक्षकथन पर या अभियुक्त की निर्दोषिता पर पड़ने वाले साक्ष्य के संपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए । अभियुक्त की दोषिता के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय को उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का मूल्यांकन, विश्लेषण और निर्धारण अधिसंभाव्यताओं, इसके अंतर्निहित महत्व और साक्षियों के विद्वेष के मानदंड के द्वारा किया जाना चाहिए ।
>
> यह भी कहना होगा कि अंततोगत्वा और अंततः प्रत्येक मामले में विनिश्चय हर एक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है ।"

18. प्रस्तुत मामले में, निचले न्यायालय अभि. सा. 1 और 5 के साक्ष्य में के विरोधाभासों और विकारों पर विचार करने में असफल रहे हैं । अभि. सा. 1 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी शंकर और सुरेश की अपराध में सहभागिता और निभाई गई भूमिका मृतक पर लात और घूसों से प्रहार करने तक सीमित थी, जबकि अन्य अभियुक्त गुड्डा और शिव मृतक पर क्रमशः चाकू और गुप्ती से हमला कर रहे थे । अभियोजन साक्षी के ऐसे कथन की संपुष्टि, जो कि अन्यथा अविश्वसनीय है, एक अन्य अभियोजन साक्षी के अन्य अविश्वसनीय साक्ष्य से नहीं की जा सकती है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में भी यह उल्लेख है कि शंकर और सुरेश, जो इस अपील में अपीलार्थी हैं, ने विपदग्रस्त की

---

[1] (2002) 6 एस. सी. सी. 470.

लात और घूसों से पिटाई की थी और उनके द्वारा कोई आयुध लिए होने का उल्लेख नहीं किया गया है । जबकि, अभि. सा. 5 ने अलग ही यह कथन किया है कि अभियुक्त शंकर ने भी आहत पर चाकू से हमला किया था । इन साक्षियों के कथनों से, जो कि प्रमुख साक्षी हैं, इस अपील में अभियुक्तों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में एक-दूसरे से संपुष्टि नहीं होती है । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और अभि. सा. 7 (डा. निलाए जैन) के साक्ष्य से आहत की लात, तमाचों और घूसों से की गई पिटाई के परिणामस्वरूप उसे कोई क्षति कारित होना प्रकट नहीं होता है, क्योंकि ऐसी क्षतियां दृष्टिगोचर नहीं हैं । अभियोजन पक्ष ने आहत पर हमला करने वाले बहुत सारे हमलावरों को अभियुक्त बनाया था किंतु साक्षी, हालांकि जिनके साक्ष्य विसंगतियों से भरे हैं, यह उल्लेख करने में समर्थ नहीं हो सके हैं कि इस अपील में अपीलार्थियों ने मृतक को कैसे क्षतियां कारित की थीं जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी । ऐसे परिदृश्य में, अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्याय के हित में नहीं होगा क्योंकि दांडिक विचारण में सबूत का मानदंड युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत होने का है और अभियोजन पक्ष इन मानदंडों के अनुसार अभियुक्तों की दोषिता को साबित नहीं कर सका है । निचले न्यायालयों ने अपनी स्वयं की धारणाओं और उपधारणों के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया है । यद्यपि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में की प्रत्येक विसंगति और विरोधाभास अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक नहीं होता है, किंतु प्रस्तुत मामले में विरोधाभास मामले की तह तक जाते हैं और तात्विक हैं तथा ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को दोषसिद्ध करना उचित नहीं है ।

19. पूर्वगामी चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, हम निचले न्यायालयों द्वारा अपीलार्थियों को अभिकथित अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने के लिए दिए गए कारणों का समर्थन नहीं कर सकते हैं और हमारा यह सुविचारित मत है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की दोषिता को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है । परिणामतः, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णय को अपास्त और इन अपीलों को मंजूर करते हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.